भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3751
दिनांक 11 अगस्त, 2026 / 20 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

भ्रामक मोबाइल एप्लीकेशन

†3751. श्री पी.सी. मोहन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए उपयोग की जाने वाली लोन ऐप्स सहित अवैध, धोखाघड़ी वाली और भ्रामक मोबाइल एप्लीकेशनों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और विगत दो वर्षों के दोरान ऐसी कितनी ऐप्स को ब्लॉक किया गया है या हटाया गया है;

(ख) इस संबंध में इस मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक और दूरसंचार विभाग के बीच आपसी समन्वय तंत्र क्या है;

(ग) राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, हेल्पलाइन 1930, संचार साथी और चक्षु जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं और नागरिकों के लिए कितनी राशि बचाई गई है; और

(घ) नागरिकों के धोखाधड़ी वाली ऐप्स और साइबर धोखाधड़ी की पहचान करने और उनकी रिपोर्ट करने के बारे में शिक्षित करने के लिए कौन से जारूकता अभियान चलाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ) : गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3751, दिनांक 11.08.2026

महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है।

गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक को हटाने या अक्षम करने की सुविधा के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'सहयोग' पोर्टल शुरू किया गया है। दिनांक 30.06.2026 तक, धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप सहित कुल 3718 मोबाइल ऐप को आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69 (क), धारा 79 (3) (ख) के तहत आई4सी द्वारा ब्लॉक किया गया है।

वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) शुरू की गई है। आई4सी द्वारा संचालित सीएफसीएफआरएमएस के अनुसार, दिनांक 30.06.2026 तक, 32.80 लाख से अधिक शिकायतों में 11,158 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से आई4सी द्वारा दिनांक 10.09.2024 को साइबर अपराधियों की पहचान की एक संदिग्ध रजिस्ट्री शुरू की गई है। दिनांक 30.06.2026 तक, बैंकों से प्राप्त 30.48 लाख से अधिक संदिग्ध पहचानकर्ता डेटा और 32.08 लाख लेयर 1 म्युल खातों को संदिग्ध रजिस्ट्री की भाग लेने वाली संस्थाओं के साथ साझा किया गया है और 25,698 करोड़ रुपये के लेनदेन को रोका गया है। दिनांक 30.06.2026 तक, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 15.75 लाख से अधिक सिम कार्डों और 5.77 लाख आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।

परिचालन दक्षता को और मजबूत करने तथा साइबर अपराध की शिकायतों के निपटान में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने एनसीआरपी-सीएफसीएफआरएमएस के लिए एक व्यापक

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। एसओपी में एनसीआरपी के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर शिकायत पर कार्रवाई, बैंक के साथ समन्वय, शिकायत निवारण, लियन मार्किंग को हटाने और धोखाधड़ी से प्रभावित धन को सही दावेदारों को लौटाने के लिए एक मानकीकृत ढांचा निर्धारित किया गया है। पीड़ितों को धोखाधड़ी से प्रभावित धन को शीघ्र लौटाने के लिए मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल और बैंक खातों को फ्रीज करने तथा लियन मार्किंग से संबंधित शिकायतों पर समय से कार्रवाई करने के लिए शिकायत निवारण मॉड्यूल अप्रैल, 2026 से कार्यात्मक बना दिया गया है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें कॉलर ट्यून अभियान, अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (CyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c) के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, एसएमएस अभियान, टीवी अभियान, रेडियो अभियान, स्कूल अभियान, सिनेमा हॉल में विज्ञापन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, आईपीएल अभियान, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।
